(12)

R. 1710/ एक/14

01. श्रीमति कमलाबाई पति स्वः श्री बापुसिंह आयु 62 साल लगभग जाति–भील
02. हरिसिंह पिता बापुसिंह आयु–42
03. सज्जनसिंह पिता बापुसिंह आयु–37
04. मुकेश पिता बापुसिंह आयु–30 साल निवासीगण ग्राम–खोकरी तह0 नागदा जि0 उज्जैन म0प्र0

प्रार्थीगण, निगरानीकर्ता

विरूद्ध

श्री मति मथरीबाई पति श्री भग्गाजी उम्र–56 साल जाति बंजारा धंधा–खेती निवासी ग्राम खोकरी तह0 नागदा जि0 उज्जैन

अनावेदक, प्रतिप्रार्थी

13

कमलाबाई विरूद्ध मथुरीबाई

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1710 –एक / 14

जिला – उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–5–14	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । यह प्रकरण भूमि विकय से संबंधित है । कलेक्टर ने अपने आदेश में आवेदक द्वारा भूमि विकय हेतु बताए गए कारणों को समाधानकारक नहीं होने तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 165(6) की उपधारा (2) (1) की (क) में दी गई शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन होने से खारिज किया है । कलेक्टर के आलोच्य आदेश में प्रथमदृष्टया कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिस कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो । परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग न होने से अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	